

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जी.प.जी. डोजीपान
व भू.अ.नि. वनेडीपा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगाडा / नायब
तहसीलदार रेलमगाडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भा.भा.खोडा तहसील रेलमगाडा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 24 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>भा.भा.खोडा</u>	24	रज SBBJ रुजोड जिगा डुदा, गणेरा जिगा जीवा, भैरुपाल जिगा किरानपाल मेघपाल	रज S.B.I. रुजोड जिगा डुदा गणेरा जिगा जीवा भैरुपाल जिगा किरानपाल मेघपाल

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रेलमगाडा

दिनांक :- 10/10/25

क्रमांक- 303
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार रेलमगाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्राथी श्री रुजोड, गणेरा, भैरुपाल को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रेलमगाडा